कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2832/12–1 देहरादूनः दिनांकः 29 मई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में वज्यूला मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.949 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।** (Proposal No. FP/UK/ROAD/10060/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./08/51/2016/एफ0सी0/504 दिनांक 15–06–2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 1756/FP/UK/ROAD/10060/2015 दिनांक 24–01–2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या भारत सरकार को विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने के उद्देश्य से प्रेषित की गई थी। **(संलग्नक–1)** किन्तु प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या 5 वर्षों की अवधि में प्रेषित न होने के कारण प्रस्ताव में भारत सरकार के निर्देशानुसार संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त एन.पी.वी. की धनराशि जमा करवाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अपने पत्रांक 1103/12–1–2 दिनांक 12.09.2024 से अवगत कराया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा एन.पी.वी. की अतिरिक्त धनराशि UTR No. SBIN323340910990 दिनांक 06.12.2023 से रु0 17,23,291.00 (सत्रह लाख तेईस हजार दो सौ इक्यानवे) मात्र जमा करवा लिया गया है। **(संलग्नक–2)**

अतः उक्त विषयक प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करना चाहें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2832/12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1756 / FP/UK/ROAD/10060/2015 देहरादूनः दिनांकः 24 जनवरी 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर में बज्यूला मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.949 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 51 / 2016 / एफ0सी0 / 504 दिनांकः–15.06.2016

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815 / 12–1–2 दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.898 है0 अर्थात 10.00 है0 ग्राम बगडुगरा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.898 है0 अर्थात 10.00 है0 ग्राम बगडुगरा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 17,09,991.00 RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52017033100020191 दिनांक 31–03–2017 से जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 10.00 है0 ग्राम बगडुगरा सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर के आदेश संख्या–213 / छब्बीस–26वन / 2015–16 दिनांक 26–07–2016 के द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 22,17,375.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

4	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण रोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की दे[illegible] धनराशि रू0 22,17,375.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 17,09,991.00 एवं सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 18,99,215.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 58,26,581.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation कराये जाने सम्बन्धित वचनबद्धता पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न की जा चुकी है। पुनः वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
6	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर dense forest के अनुसार लगाई गयी है, जबकि Density 0.3 बताई गयी है। अतः राज्य सरकार Density तथा/अथवा एन0पी0वी0 की गणना का मौके की स्थिति के अनुसार एक बार फिर मूल्यांकन करे तथा तदानुसार एन0पी0वी0 की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करे। एन0पी0वी0 के revision की स्थिति में revised NPV Bill भी प्रेषित करें।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन0पी0वी0 की गणना का मौके की स्थिति के अनुसार एक बार फिर मूल्यांकन कर एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त कर एन0पी0वी0 की रिसीविंग की स्थिति में रिसीव एन0पी0वी0 बिल भी प्रेषित कर संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
7	Online Web Portal के Part-II के पैरा–8(i) में wildlife details की सही जानकारी देना सुनिश्चित करें।	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा Online Web Portal के Part-II के पैरा–8(i) में wildlife details ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1756/ FP/UK/ROAD/10060/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

24/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 1103 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 12 / 9 /2024
सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद बागेश्वर में वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.949 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10060/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/08/51/2016/ 504 दिनांक 15.जून.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.949 है0 वन भूमि** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 2853 / 12–1 दिनांक 02.05.2017 द्वारा प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी थी। **(छायाप्रति संलग्न)** – 1

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सराकर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No.SBIN323340910990 Dtd 06.12.2023 से जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न) – 2

अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना चार प्रतियों में संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।
संलग्नः– चार प्रतियो।

भवदीय,

(धुव सिह मर्तोलिय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक / दिनांकिंत ।
प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धुव सिह मर्तोलिय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari